**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्‍चतर शिक्षा विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 678

उत्‍तर देने की तारीख: 27.07.2015

**भारतीय प्रबंधन संस्थानों के संबंध में नया प्रारूप विधेयक**

**678. श्रीमती वानसुक साइमः**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय प्रबंधन संस्थान (आई॰आई॰एम॰) विधेयक का नया प्रारूप सभी

स्टेक होल्डरों के बीच उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया है;

(ख) क्या आई॰आई॰एम॰ बोर्डों के प्रबंधन ने आई॰आई॰एम॰ बोर्डों के पास मौजूद अधिकारों को प्रारूप विधेयक के खण्ड 3(ट) और 36(1) के माध्यम से छीनने के सरकार के प्रयास का व्यापक विरोध किया है;

(ग) क्या सरकार ने मैत्रीपूर्ण रवैया अपनाते हुए आई॰आई॰एम॰ बोर्डों को विचार-विमर्श के लिए बुलाया है; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्री**

**(श्रीमती स्‍मृति ज़ूबिन इरानी)**

(क) और (ख): मसौदा आईआईएम विधेयक आईआईएम, त्रिची के शासी बोर्ड के तत्‍कालीन अध्‍यक्ष श्री एम.दामोदरन की अध्‍यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार किया गया था। इस समिति में आईआईएम के प्रतिनिधि भी शामिल थे। इस समिति के प्रस्‍ताव के आधार पर तैयार यह मसौदा अगस्‍त, 2014 में पुन: विचार हेतु सभी आईआईएम को परिचालित किया गया था। आईआईएम के निष्‍कर्षों और सुझावों पर विचार किया गया था और इस मसौदे को अंतर-मंत्रालयीय परामर्श प्रक्रिया के माध्‍यम से अध्‍ययन करने के बाद उस आधार पर संशोधित किया गया था। मसौदे को इस प्रक्रिया के माध्‍यम से तैयार करके लोगों की टिप्‍पणियों के लिए रखा गया था। मसौदा आईआईएम विधेयक पर आईआईएम सहित स्‍टेकहोल्‍डरों की राय और सुझाव प्राप्‍त हुए हैं। मंत्रालय में इन सुझावों पर विचार किया जा रहा है।